Court of District & Additional Sessions Judge-III, Lohardaga
Mis. Criminal Application no. 643/2022,
Sessions Trial No.-191/2022

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	02-02-2023	CNR NO-JHLHO10021202022	

G.R Case No.	505/2022
Bagru P.S. case no.	25/2021(S)
Charged	U/s 498A/34, 304(B)/34 of I.P.C & U/s 3/4 of Dowry Prohibition Act
Charged framed on	09.12.2022
Total charge sheeted witness	08
Witnesses examined	No witness has been examined as yet
Application filed	U/s 439 of Cr.P.C
Name of the petitioner	Puspa Devi, W/o Rohit Sahu, aged about 45 years, R/o village- Merle, P.O-Hisri, P.S- Bagru, District- Lohardaga
Learned Advocate for the petitioner	Sri Imran Ansari
Learned Addl. P.P. for the State	Sri Manoj Kumar Jha

आदेश

कारा अभियुक्ता पुष्पा देवी के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन (विविध आपराधिक आवेदन संख्या–643/2022) पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है।

कारा बंदी अभियुक्ता पुष्पा देवी सत्र विचारण

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	संख्या-(S.T. Case No.-191/2022), बगडू थाना काण्ड संख्या–25/2021, जी0आर0 केस संख्या–505/2022 के प्राथ. मिकी का नामजद अभियुक्ता है और उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को अन्तर्गत धारा 498A/34, 304B/34 भा.द.वि एवं अन्तर्गत धारा 3/4 दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के अपराध का आरोप गठित किया जा चुका है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त अभियुक्ता निर्दोष है और इसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। उक्त अभियुक्ता की ओर से पूर्व में दिया गया अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–243/2021 खारिज किया जा चुका है तथा उक्त अभियुक्ता की ओर से पूर्व में दिया गया नियमित जमानत आवेदन संख्या–153/2022 वापसी के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसके अलावा उक्त अभियुक्ता की ओर से अन्य कोई नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में विचाराधीन नहीं है। उक्त अभियुक्ता को जानबूझकर इस वाद में झूठा एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर और प्राथमिकी में गलत आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है और उक्त अभियुक्ता ने मृतिका	

Court of District & Additional Sessions Judge-III, Lohardaga
Mis. Criminal Application no. 643/2022,
Sessions Trial No.-191/2022

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	पूजा कुमारी को कभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित या मारपीट नहीं किया और न ही मोटरसाइकिल या नगद रूपये की मांग किया गया है। मृतिका पूजा कुमारी वास्तव मे मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी और वह गलती से कुआं में गिर गई और उसकी जान चली गई और उक्त अभियुक्ता एक महिला है और अभियुक्ता दिनांक 23.07.2022 से कारा में निरूद्ध हैं। उक्त अभियुक्ता स्थानीय निवासी हैं और इसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है और अभियुक्ता सभी शर्तों को मानने एवं पर्याप्त प्रतिभू देने को तैयार है। अतः अभियुक्ता को जमानत पर मुक्त किया जाय। दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का और साथ ही काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक शिशुपाल साव ने थाना प्रभारी, बगड़ू को एक टंकित आवेदन देकर कथन किया है कि दिनांक 08.05.2021 को उसकी पुत्री पूजा की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार लालू प्रसाद साव पिता रोहित साव ग्राम–मेरले, थाना–बगड़ू, जिला–लोहरदगा के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद दामाद लालू प्रसाद साव एवं इनके पिता रोहित साव, माता पुष्पा देवी द्वारा नगद 1,40,000/– रूपये एवं	

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	फर्नीचर, गोदरेज, पलंग, ज्वेलरी, गहना इत्यादि सामान कुल 1,50,000/– रूपये दिए। विवाह के बाद पुत्री पूजा कुमारी दामाद के साथ ग्राम मेरले स्थित ससुराल गई तथा विवाह के कुछ ही दिनों के बाद से ही उसकी पुत्री पूजा कुमारी को मोटरसाइकिल मांग कर लाने के लिए दबाव देने लगे। दामाद लालू प्रसाद साव, ससुर रोहित साव, सास पुष्पा देवी, देवर अर्जुन साव, छोटकू साव, पिता बिरन साव, मौसी मेनका देवी पति स्व0 दुर्योधन साव इन लोगों ने मिलकर दबाव देने लगे। उसकी पुत्री उसे मोटरसाइकिल मांगने की बात बतायी तो वह स्वयं दामाद तथा पूजा के ससुर एवं सास से बात किए तथा बोले कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। इन लोगों का काम बंद है। काम धंधा चलने लगेगा तो वह चार–पांच महीने में दे देगा। इसी बीच दामाद लालू, बेटी पूजा की सास पुष्पा देवी एवं ससुर रोहित साव, देवर अर्जुन साव, लड़का का मौसी मेनका देवी पति स्व. दुर्योधन साव बोले कि वह लोगों को 1,00,000/– रूपये नगद ही दे दीजिये तथा यह लोग बोले कि व्यवस्था होने पर दे देगे। इस दौरान दामाद, ससुर, सास भिन्न–भिन्न बहाना बनाकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करते थे तथा उसे उसकी पुत्री फोन से सूचना देती थी। अंत में दिनांक 22.11.2021 को उसके दामाद एवं छोटू कुमार ग्राम अलौदिया (शुक्र बाजार)	

Court of District & Additional Sessions Judge-III, Lohardaga
Mis. Criminal Application no. 643/2022,
Sessions Trial No.-191/2022

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	आकर उससे नगद 85,000/– रूपये नगद ले गया। दिनांक 23.11.2021 को शाम 07:00 बजे फोन नम्बर 9334959646 से फोन आया कि अपराह्न 03:00 बजे आपकी पुत्री पूजा कुआं में डूब गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फोन से पता चला एवं आसपास के लोगों से पता चला कि दहेज की लालच में हत्या कर कुआं में डाल दिया गया है। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर बगड़ू थाना काण्ड संख्या–25/2021, दिनांक 24.11.2021, अन्तर्गत धारा 498A/34, 304B/34 भा.द.वि एवं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 उक्त अभियुक्ता के अलावा सह अभियुक्तगण लालू प्रसाद साव, रोहित साव, अर्जुन साव, छोटू साव एवं मेनका देवी के विरुद्ध अंकित किया गया है और अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्ता पुष्पा देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A/34, 304B/34 भा.द.वि एवं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध का पृथक आरोप पत्र संख्या–31/2022 दिनांक 19.10.2022 को समर्पित किये जाने के पश्चात तत्कालीन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, लोहरदगा के द्वारा दिनांक 22.10.2022 को उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा	

XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	498A, 304B भा.द.वि एवं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को अन्तर्गत धारा 498A/34, 304B/34 भा.द.वि एवं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध का आरोप भी गठित किया जा चुका है और अभियोजन की ओर से आरोप पत्र में वर्णित कुल 08 साक्षियों में से अभी तक किसी भी साक्षी को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। निःसंदेह उक्त अभियुक्ता उक्त वाद में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्ता है और उक्त अभियुक्ता दिनांक 23.07.2022 से उक्त वाद में कारागार में निरूद्ध हैं। और उक्त अभियुक्त के विरूद्ध काण्ड दैनिकी का पारा 6 में वादी शिशुपाल साव का पुनः बयान, काण्ड दैनिकी के पारा 07 में साक्षी फुलमनी देवी का बयान, काण्ड दैनिकी का पारा 08 में साक्षी कार्तिक कुमार का बयान, काण्ड दैनिकी का पारा 18 में साक्षी दीपक साहू उर्फ विपन का बयान, काण्ड दैनिकी का पारा 19 में साक्षी श्री चन्द साहू का बयान, काण्ड दैनिकी का पारा 20 में साक्षी विमला देवी का बयान और साथ ही	

Court of District & Additional Sessions Judge-III, Lohardaga
Mis. Criminal Application no. 643/2022,
Sessions Trial No.-191/2022

XLII – High Court (J) 9a [Ol
d (M) 164.]22

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	Cont....... 02.02.2023	पृथक काण्ड दैनिकी काण्ड दैनिकी का पारा 34 में साक्षी बेनी साहू का बयान, काण्ड दैनिकी का पारा 35 में साक्षी किनुवा साहू का बयान का अवलोकन से भी उक्त अभियुक्ता का अभिकथित घटना में संलिप्तता का स्पष्ट रूप से पता चलता है और उक्त अभियुक्ता पुष्पा देवी पीड़िता/मृतिका की सास है जो उक्त वाद की घटना की मुख्य अभियुक्ता है और इस प्रकार उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी एवं काण्ड दैनिकी में प्रत्यक्ष अपराध का आरोप है जो कि गम्भीर प्रकृति का है और उक्त अभियुक्ता प्राथमिकी का नामजद अभियुक्ता है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए कारा अभियुक्ता पुष्पा देवी को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः कारा अभियुक्ता पुष्पा देवी के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित ह0/– (अरविन्द कुमार नम्बर–2) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, लोहरदगा। I.D. NO-537 Dated-02.02.2023	